"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 अप्रैल 2017—— चैत्र 30 , शक 1939

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–22/2015/वा.क.(पं.)/पांच (42). —— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक–2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, "छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2014–2019" सहपठित "छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2016" के अन्तर्गत किसी भी बीमार एवं बंद उद्योगों के पुर्नसंचालन/पुनर्वास हेतु, किसी बीमार, बंद घोषित उद्योग के क्रय की निष्पादित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु –

1. बंद/बीमार उद्योगो के विर्निमाण हेतु, पात्र सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेंगा प्रोजेक्ट उद्योगों के लिए यह छूट प्रभावशील होगी (संलग्न परिशिष्ट–'एक' में दर्शाये गये अपात्र उद्योगो को छोड़कर)
2. स्टाम्प शुल्क से छूट के लिये बंद/बीमार उद्योगों के प्रकरणों में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य–महाप्रबंधक/महाप्रबंधक तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में उद्योग–आयुक्त/संचालक–उद्योग अथवा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र मान्य किया जावेगा।
3. ऐसा प्रमाण–पत्र पंजीयन के लिए प्रस्तुत क्रय विलेख के साथ मूलतः प्रस्तुत किया जाकर, संबंधित दस्तावेज की कार्यालयीन प्रति में संलग्न कर रिकार्ड का भाग बनाया जायेगा।
4. स्टाम्प शुल्क से छूट के संबंध में 'छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2016' में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करने पर दी गई छूट तत्काल निष्प्रभावी हो जायेगी तथा छूट की राशि की वसूली भू–राजस्व की तरह, मुद्रांक शुल्क छूट प्राप्ति दिनांक से साढ़े बारह प्रतिशत की दर से ब्याज सहित, उद्योग विभाग के सहयोग से कलेक्टर द्वारा वसूल की जावेगी ।
5. उक्त अधिसूचना दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से प्रभावशील होकर 31 अक्टूबर, 2019 को समाप्त होगी।
6. ऐसे विलेखों जिनमें, संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया हो, उनमें स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नही होगी।
7. इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक "एफ 10–22/2015/वा.क.(पं)/पांच (61), दिनांक 23 जून, 2016" एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

परिशिष्ट–''एक''

('छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2016' में उल्लेखित अपात्र उद्योगों की सूची, जिन्हें छूट की पात्रता नही है)

1. भारत सरकार/राज्य शासन/राज्य शासन की किसी एजेंसी द्वारा किसी क्षेत्र विशेष हेतु निषेधित उद्योग ।
2. भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा घोषित निषेधित उद्योग।
3. भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा काली सूची में डाले गये उद्योग।
4. भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा स्थापित उपक्रम।
5. पान मसाला, गुटका, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग ।
6. एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस ।
7. फटाका, माचिस एवं आतिसबाजी से संबंधित उद्योग ।
8. स्टोन क्रेशर ।
9. लेदर टैनरी।
10. स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना) ।
11. कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)।
12. समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग/ग्राइडिंग/पलवराइजिंग ।
13. अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निषेधित घोषित किये जाएं।

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.